

छठी अनुसूची  
(धारा 140 देखिए)

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की तीसरी अनुसूची में, क्रम सं० 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

5	क्रम सं०	शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का वर्णन
	(1)	(2)	(3)
	“26क	2402 20 10 से 2402 20 90	सभी माल” ।